

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

1. अपील संख्या: 65/22

निर्णय दिनांक:- 21-12-2022

(जीसीएमएस संख्या 2022/00271)

1. सत्यनारायण पुत्र श्री पाबुराम जाति मेघवाल निवासी किशनेरी कानसिंह की सीड तहसील बाप जिला जोधपुर हाल ग्राम नोखड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. पूनमचन्द पुत्र राधा पत्नि सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी खजोड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. रामूराम पुत्र राधा पत्नि सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी खजोड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांटस्

—बनाम—

मयूर चांवरिया पुत्र सुरेन्द्र कुमार चांवरिया जाति हरिजन निवासी कजराज मन्दिर के पास, नत्थुसर गेट के बाहर, हरिजन बस्ती, बीकानेर।

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोंडेन्टस्



अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24-02-2002


उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

2. अपील संख्या: 74/22

(जीसीएमएस संख्या 2022/00314)

1. सत्यनारायण पुत्र श्री पाबुराम जाति मेघवाल निवासी किशनेरी कानसिंह की सीड तहसील बाप जिला जोधपुर हाल ग्राम नोखड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. पूनमचन्द पुत्र राधा पत्नि सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी खजोड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. रामूराम पुत्र राधा पत्नि सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी खजोड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांटस्


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

-बनाम-

1. मयूर चांवरिया पुत्र सुरेन्द्र कुमार चांवरिया जाति हरिजन निवासी कजराज मन्दिर के पास, नत्थुसर गेट के बाहर, हरिजन बस्ती, बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

-रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29-03-2002
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थित:-

1. श्री प्रहलाद जाखड, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 24-02-2022 व 29-03-2022 जिसके द्वारा विधि विरुद्ध तरीक से निर्णय व विभाजन की डिक्री पारित की गई है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नोखड़ा के खेत खसरा नम्बर 76 तादादी 18.1.76 हेक्टर व खसरा नम्बर 96 तादादी 11.5196 हेक्टर कुल किता 2 तादादी 29.6272 हेक्टर भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिसमें से अपीलांट्स का 1/3 हक व हिस्सा निहित है। उक्त 1/3 हक व हिस्से की भूमि पर अपीलांट्स का निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि के बाबत



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र दिनांक 21-01-2022 को दर्ज रजिस्टर करते हुए रेस्पोडेन्ट्स को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 22-02-2022 नियत की गई। उक्त दिनांक को अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की तरफ से जरिये अधिवक्ता वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, परन्तु उक्त दिनांक को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कोई बहस नहीं किये जाने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा आदेशिका दिनांक 22-02-2022 में उभय पक्ष की बहस सुने जाने का अंकन करते हुए पत्रावली को निर्णय हेतु आरक्षित कर दिया गया व दिनांक 24-02-2022 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। अदालत मातहत के उक्त कृत्य मात्र से साबित है कि अदालत मातहत द्वारा मात्र वादी को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से पत्रावली में तमाम कार्यवाही निष्पादित की गई है। इस प्रकार अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट्स को उसके हक व हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से वंचित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनकर निर्णय पारित कर दिया गया।




उन्होंने आगे कथन किया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा विभाजन की डिक्री जारी करते समय व तहसीलदार द्वारा विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए संयुक्त खातेदारों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को नजरअंदाज करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। अदालत मातहत द्वारा मौके की जाँच किये बिना ही वादी के कथन मात्र पर विश्वास करते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गई है। जबकि इस संबंध में स्पष्ट नियम है कि संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर सभी पक्षों की उपस्थिति में विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए अपनी रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित करें। प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बाबत विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं वह प्रस्ताव संबंधित पटवारी द्वारा तैयार किये गये हैं व तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट पर काऊण्टर साईन किये गये हैं। उक्त प्रस्ताव पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हस्ताक्षर अंकित हैं, जबकि अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। जिससे साबित है


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन के आज्ञापक प्रावधानों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई है। विभाजन के मामलों में सर्वप्रथम यह देखा जाना होता है कि विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से विभाजन के प्रतिपादित सिद्धान्त अर्थात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है अथवा नहीं? अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध प्रस्ताव के अवलोकन मात्र से यह तथ्य साबित है कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान नहीं की गई है। लिहाजा आदेश जैर अपील स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। यदि तत्समय अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया जाता तो उक्त तमाम स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा जाता। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किये गये है वह प्रस्ताव मौके पर कब्जे काश्त व धारण की भूमि से भिन्न है तथा मौके पर सभी सह खातेदार अलग-अलग स्थान पर बैठे है। जिसको स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया गया है तथा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर उक्त प्रस्ताव तैयार किये गये है, ना ही मौके की जाँच की कोई फर्द ही बनाई गई है। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही आनन-फानन में की गई है। अदालत मातहत द्वारा विभाजन के नियमों की अवहेलना करते हुए व विभाजन के नियमों पर माईन्ड एप्लाई किये बिना रेस्पोजेन्ट्स 1 को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसे एकतरफा आदेश को कानून से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मात्र अपीलांट्स की उपस्थिति अंकित करते हुए पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांट्स को प्राप्त नहीं हो सकी थी। अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी तब प्राप्त हुई जब रेस्पोजेन्ट संख्या 1 मौक पर आये व कथन किया उक्त भूमि का विभाजन हमारे द्वारा करवा लिया गया है। तब जानकारी के दिन से बिना किसी विलम्ब के अपीलांट्स द्वारा अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विधि का भी यह सर्वमान्य




राजस्थान अपील अदालत
बीकानेर

सिद्धान्त है कि जहाँ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहाँ विकल्ब को माफ किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में एकतरफा तौर पर पारित आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट द्वारा जानकारी के दिन से अन्दर मियांद अपील प्रस्तुत करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा मियांद को कण्डोन करने हेतु जो कथन किया गया है उस पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए मौके की जाँच करते हुए व अपीलांट्स के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।



विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में के न्यायिक आरआरडी 1986 पेज 583, आरआरटी 2001 पार्ट II पेज 1233 व आरआरटी 2004 पार्ट II पेज 1187 के दृष्टांत पेश किये।

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नोखड़ा के खेत खसरा नम्बर 76 तादादी 18.1.76 हेक्टर व खसरा नम्बर 96 तादादी 11.5196 हेक्टर कुल किता 2 तादादी 29.6272 हेक्टर भूमि के बाबत दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शों व सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन करने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के जरिये अधिवक्ता श्री अरुण राठौड़ के अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने पर उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त/ हक व हिस्से की भूमि के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है व संबंधित तहसीलदार को विभाजन के प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि अपीलांट्स अदालत मातहत के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित आ चुके थे तथा उन्हें प्राथमिक डिक्री अर्थात् विभाजन के प्रस्ताव हेतु तहसीलदार को निर्देशित किये जाने


राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

बाबत जानकारी प्राप्त थी। ऐसी स्थिति में अपीलाट्स का न्यायालय के समक्ष यह कथन किया जाना कि वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये व अदालत मातहत द्वारा एकतरफा आदेश पारित किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने आगे बताया कि विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात् अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारा पक्षकारों के मध्य किया जावे। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही सभी पक्षों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गई है। ऐसीस्थिति में अपीलाट्स का यह कथन कि आराजी जैर का विभाजन करते समय अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति की जाँच नहीं की गई है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलाट्स द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलाट्स का कब्जा किस स्थान पर है तथा अदालत मातहत द्वारा किस प्रकार उनके कब्जे के विपरीत जाकर प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलाट्स किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि अपीलाट्स के उक्त कथन को मान भी लिया जावे कि वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये हैं। फिर भी अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन किया गया है। प्रकरण में अपीलाट्स यह बताने में असमर्थ हुए हैं कि अदालत मातहत द्वारा जारी विभाजन की डिक्री से किस प्रकार की कोई क्षति हुई है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश की पालन पूर्ण हो चुकी है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में उक्त विभाजन का अंकन हो चुका है। केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर विभाजन के प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलाट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।




राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

इसी संबंध में उन्होंने कथन किया कानूनन अपीलाधीन आदेश की पृथक-पृथक अपील होने की स्थिति में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्राथमिक आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलाट्स द्वारा दो आदेशों की एक अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलाट्स की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे। उक्त आपत्ति प्रस्तुत करने के उपरान्त अपीलाट्स द्वारा दिनांक 08-09-2022 को प्राथमिक डिक्री की अपील पृथक से प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अपीलाट्स स्वयं का कृत्य कानून के विपरीत होना साबित है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स ने आगे कथन किया कि अपीलाट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलाट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-02-2022 व 29-03-2022 के विरुद्ध अपील दिनांक 14-07-2022 व 08-09-2022 को प्रस्तुत की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलाट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये हैं वे बेबुनियाद व मनगढ़त हैं जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है क्योंकि अपीलाट्स जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके थे। ऐसी स्थिति में अपीलाट्स की अपील गुणावगुण के साथ-साथ मियांद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2019 पेज 323, डीएनजे राज 2018 पार्ट III पेज 1136, डीएनजे 2019 पार्ट III पेज 1058, आरआरटी 2019 पार्ट II पेज 777, आरआरडी 2019 पेज 397, डीएनजे राज. 2019 पार्ट II पेज 725 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
8. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन दिनांक 24-02-2022 व 29-03-2022 के विरुद्ध अपील दिनांक 14-07-2022 व 08-09-2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलाट्स द्वारा अपील के साथ




राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मात्र अपीलांट्स के अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज करते हुए बिना बहस सुने एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं अपीलांट्स द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अपीलांट्स जरिये अधिवक्ता अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आ चुके थे तथा उनके उपस्थित आने के उपरान्त ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील मियांद बाहर होने से मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि प्रकरण में सभी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके हैं तथा विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्धान्त रहा है कि जहाँ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहाँ मियांद के बिन्दु अर्थात् मियांद में अत्याधिक विलम्ब न होने की स्थिति में न्यायालय को मियांद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह भी मत है कि चूंकि पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति होते हैं, जिन्हें न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लिहाजा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

(2) प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नोखड़ा के खेत खसरा नम्बर 76 तादादी 18.1. 76 हेक्टर व खसरा नम्बर 96 तादादी 11.5196 हेक्टर कुल किता 2 तादादी 29.6272 हेक्टर भूमि बाबत् रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 24-02-2022 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री व कालान्तर में दिनांक 29-03-2022 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जवाब व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना मौके व कब्जे काश्त की भूमि के विपरीत जाकर एकतरफा तौर पर वादी के कथनानुसार विभाजन की डिक्री पारित की गई है।




राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

(3) प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि के विभाजन की डिक्री जारी करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 21-01-2022 को प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किये जाने पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 22-02-2022 को प्रतिवादीगण/अपीलांट्स जरिये अधिवक्ता श्री अरुण राठौड़ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित भूमि का अच्छी से अच्छी व मंदी से मंदी अथाई बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स खाता विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया गया तथा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। इस प्रकार प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि अपीलांट्स अदालत मातहत के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित आ चुके थे, तथा उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी व विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने के आदेशा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये थे। लिहाजा अपीलांट्स की यह आपत्ति की अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व उन्हें सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

प्रकरण में अदालत मातहत के आदेशों की पालना में बरवक्त विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये जाने अपीलांट्स के उपस्थित नहीं आने पर वादग्रस्त भूमि के विभाजन के प्रस्ताव मौके पर कब्जे काश्त व धारण/हक व हिस्से की भूमि के अनुसार तैयार करते हुए अदालत मातहत को प्रेषित किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि को लेकर वादीगण/प्रतिवादीगण के मध्य उनके हक व हिस्से की भूमि का विभाजन करते हुए अंतिम डिक्री पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादग्रस्त भूमि को लेकर उनके हक-हकूकों, उनके धारण की भूमि, उनके कब्जे काश्त की भूमि का किस प्रकार से ध्यान नहीं रखते हुए उनके विधिक अधिकारों का हनन किया गया। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दुओं को सहारा लेकर अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है। विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के धारण की भूमि को कम


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



अथवा ज्यादा किया गया है या नहीं? एक दूसरे के कब्जे काश्त व धारण की भूमि ध्यान रखा गया है या नहीं? एवं विभाजन करते समय रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों का ध्यान रखा गया है या नहीं? अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शों के अवलोकन से यह साबित होता है कि द्वारा आदेश जैर अपील में विभाजन के सभी आज्ञापक प्रावधानों की पालना/रास्ते के प्रावधानों को शामिल करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाट्स की अपीलें खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24-02-2022 व 29-03-2022 यथावत बहाल रखे जाते हैं।



8. निर्णय आज दिनांक 21-11-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्थान राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

डिकरी ब सीगे अपील
(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

सत्यनारायण बनाम मयूर चांवरिया
(अपील संख्या 65/2022 व 74/2022)

बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
मुवर्खे 24-02-2022 व 29-03-2022



यह अपील ब-तारीख 21-11-2022 रूबरू हमारी, बहाजरी श्री अभिभाषक अपीलांट श्री प्रहलाद जाखड़ व अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामचन्द्र सिंह भाटी पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट्स की अपीलें खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 24-02-2022 व 29-03-2022 यथावत बहाल रखे गये।

(खर्चा अपील हाजा का हत्व तफसीस जेरे तादादी मुबलिंग-.....) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का-..... अदा करें।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 21 माह नवम्बर सन् 2022 को जारी किया गया।

मुहर


हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रु.	पै.	रेस्पोंडेन्ट	रु.	य पै.
1. स्टाम्प अपील.....			1. स्टाम्प वकालतनामा.....		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील		
मीजान			मीजान		